बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2)5223 **पटना, दिनांकः**– 23.06.23

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या –01/2019 के आलोक में श्री बंटी अभिषेक, पिता–श्री शंभु शरण सुमन, गांधी नगर, लालूचक अंगरी, ईशाचक, जिला–भागलपुर को विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजित करते हुए निदेशालय पत्रांक 10642 दिनांक 01.09.2020 के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, अररिया में पदस्थापित किया गया है।

नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय से कराया जा रहा है। श्री अभिषेक द्वारा नियोजन के समय प्रस्तुत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र का सत्यापन भी संबंधित विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में एक अन्य मामले में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यह सूचना दी गयी है कि **"The engineering Diploma Course has not been conducted by the Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamilnadu"**

चूंकि श्री अभिषेक भी उक्त विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र पर ही नियोजन प्राप्त किए हैं, इस परिपेक्ष्य में प्राप्त सूचना/प्रतिवेदन के आलोक में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप निदेशालय पत्रांक 2950 दिनांक 25.04.2023 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। श्री अभिषेक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के संबंध में उक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने एवं पुनः सत्यापन कराने के सिवाय कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन को खंडित करता हो। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया गया है।

यद्यपि की श्री अभिषेक का संविदा नियोजन भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व में निदेशालय आदेश संख्या – 4714 दिनांक 23.12.2022 द्वारा समाप्त किया जा चुका है, परन्तु इनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित रहते हुए सरकारी राशि प्राप्त की गयी है एवं सरकार/विभाग को धोखे में रखा गया है। इस परिपेक्ष्य में नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका–4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राप्त की गयी राशि की वसूली एवं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश बदोबस्त पदाधिकारी, अररिया को दिया जाता है।

23/6/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2)5223 **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– श्री बंटी अभिषेक, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02784), पिता–श्री शंभु शरण सुमन, गांधी नगर, लालूचक अंगरी, ईशाचक, जिला–भागलपुर, ई–मेल–**bantibaba5591@gmail.com** को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2)5223 **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021(खंड–2)5223 **पटना, दिनांक :–**23.06.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

23/6/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप